राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :– 119 / 2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 316

1. सुबेसिंह पुत्र बनवारी लाल जाति अहीर निवासी रसुलपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं ....वादी

बनाम

1. नरेन्द्र पुत्र बिरजाराम
2. यादराम पुत्र मानसिंह
3. कमलेश पुत्री बिरजाराम
4. राजेन्द्र पुत्र बिरजाराम
5. सन्तोष पुत्री बिरजाराम
6. सरिता देवी पत्नी देशदीपक समस्त जाति अहीर निवासीगण रसुलपुर तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–::निर्णय::–

दिनांक :– 29/7/24

वादीगण की ओर से वाद पत्र रहा कि :–

1. यह कि ग्राम रसूलपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 159 के ख0 न0 603 रकबा 0.65 है0 के सयुक्त खातेदार कास्तकार वादी व प्रतिवादीगण दर्ज है जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/20 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी बटवारा कर रखा है उसी अनुसार मौके काबिज कास्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त वर्णित भूमि सयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसका विधिवत रूप से बंटवारा नही हुआ है इसलिए वादी को अपनी भूमि के सुधार कार्य करने व किश्म परिवर्तन करवाने के अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी ने अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाने के लिए निश्चय किया है तब वादी ने जब प्रतिवादीगण को खाता विभाजन करवाने हेतु सम्पर्क कर पुछा तो प्रतिवादीगण ने खाता विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 कहने लगे कि वादी का हिस्सा पिछे का है व प्रतिवादीगण का हिस्सा आगे का है इसलिए वादी को अपने हिस्से को जोतने के लिए नही जाने देगे तथा निर्माण करके वादी रास्ता अवरूद्ध कर देगे। इसलिए धमकी के चलते वादी को उक्त वाद खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:12:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

3. यह कि वाद वर्णित भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा है शेष हिस्सा है शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण का है तथा वादी ने फिर भी बाहमी बटवारे से संन्तुष्ट होकर सड़क पर प्रतिवादीगण जबरन निर्माण करके वादी को उसके हिस्से तक जाने के लिए निर्माण करके अवरोध पैदा कर रहे है इस प्रकार वादी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है।

4. यह कि वाद वर्णित भूमि खाता संख्या 159 के ख0 न0 603 रकबा 0.65 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे कि जब तक वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से का विधिवत बंटवारा न हो तब तक कच्चा या पक्का निर्माण कार्य ना करे ना हि अपने परिचितो से करवाये।

वादी ने वाद–पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि–

(क). यह कि ग्राम रसुलपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता स0 159 के ख0न0 603 रकबा 0.65है0 में वादी के 1/2 हिस्सा का विभाजन बाहमी बंटवारा व कब्जे के अनुसार विभाजित किया जाकर रुलस 18 से 21 के अनुसार वादी के हिस्से वाली भूमि तक रास्ता कायम करते हुए विभाजित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर लगान भी अलहेदा कायम किया जावें।

(ख). कि प्रति0 स0 1 से 5 को जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद किया जावे कि वाके ग्राम रसुलपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता स0 159 के ख0न0 603 रकबा 0.65है0 का जब तक विधिवत रुप से बंटवारा ना हो तब तक उसमें कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य ना करें तथा ना ही कोई निर्माण सामग्री डाले ऐसा ना स्वंय करें तथा ना ही अपने परिचित, परिजनों, मित्रों या एजेन्ट से करावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 27.07.2022 को अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.07.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 293 दिनांक 20.09.2022 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 3002 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई एतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावे[illegible] के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2075–2078 वाके ग्राम रसूलपुर स्थित भूमि हाल खाता संख्या 159 [illegible] व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया [illegible] न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:12:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्या : 119/2022
जीसीएमएस वाद संख्या : 2022/316
सुबेसिंह बनाम नरेन्द्र आदि
दिनांक :– 29.07.2024

–:: आदेश ::–

"न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रसुलपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 159 के ख0न0 603 रकबा 0.65है0 में वादी खाता विभाजन कर लगाान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिनांक 27.07.2022 को प्राथमिक डिक्री कर दिया गया था। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 566 दिनांक 18.09.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 186 दिनांक 19.01. 2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 29/7/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:12:34 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:–119/2022 **जीसीएमएस वाद संख्या : 2022/316**

निर्णय दिनांक:– ....

सुबेसिंह **बनाम** नरेन्द्र आदि.

दावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीया की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिति में व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को **श्री हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रसुलपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 159 के ख0न0 603 रकबा 0.65है0 में वादी खाता विभाजन कर लगाान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिनांक 27.07.2022 को प्राथमिक डिक्री कर दिया गया था। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 566 दिनांक 18.09.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 186 दिनांक 19.01. 2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29/7/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:12:34 IST
Reason: SelfAttested

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)